

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2019—वैशाख 27, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ ए 3-19-2019-1-पांच (41)

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्ति, किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त नीचे तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता के रूप में विलोमतः प्रभार के आधार पर कर का भुगतान करेगा, यथा:-

तालिका

क्र.सं.	माल और सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी	माल और सेवाओं का प्राप्तकर्ता
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे माल और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति [डेवलपमेंट राइट्स के अनुदान, भूमि का दीर्घकालिक पट्टा (प्रीमियम, सलामी, बिकास शुल्क आदि के रूप में अग्रिम भुगतान के प्रति) या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) के माध्यम से	प्रोमोटर

	<p>सेवाओं के अलावा] इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32-2017-1-पांच (72) दिनांक 21 जुलाई, 2017 में प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (i क), (i ख), (i ग), (i घ), (i ङ) और (i च) में यथा निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष (या पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग या पहले व्यवसाय, जो भी पहले हो, तक) में, जो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी को संस्थापित करता है।</p>	
2	<p>सीमेंट जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आता है जो कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32-2017-1-पांच (72) दिनांक 21 जुलाई, 2017 में प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (i क), (i ख), (i ग), (i घ), (i ङ) और (i च) में यथा निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष (या पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग या पहले व्यवसाय, जो भी पहले हो, तक) में, जो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी को संस्थापित करता है।</p>	प्रमोटर
3	<p>पूँजीगत माल जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के किसी भी अध्याय के अंतर्गत आता हो और जिसे ऐसे किसी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर को आपूर्ति किया गया हो जिस पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32-2017-1-पांच (72) दिनांक 21 जुलाई, 2017 में प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (i क), (i ख), (i ग), (i घ), (i ङ) और (i च) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान देय हो या किया जाता हो।</p>	प्रमोटर

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु, -

(i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (घट) में दिया गया हो।

(ii) प्रोजेक्ट से अभिप्राय किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है

(iii) रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) का वही अभीप्राय होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट , 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यद) में दिया गया हो।

(iv) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्राय: उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

क्र. एफ. ए-3-19-2019-1-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-19-2019-1-पांच (41), दिनांक 17 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

F-A-3-19-2019-1-V(41)

Bhopal, the 17th May 2019

In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered person specified in column (3) of the table below, shall in respect of supply of goods or services or both specified in column (2) of the Table below, received from an unregistered supplier shall pay tax on reverse charge basis as recipient of such goods or services or both, namely:-

Table

Sl. No.	Category of supply of goods and services	Recipient of goods and services
(1)	(2)	(3)
1	Supply of such goods and services or both [other than services by way of grant of development rights, long term lease of land (against upfront payment in the form of premium, salami, development charges etc.) or FSI (including additional FSI)] which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services or both	Promoter.

	required to be purchased by a promoter for construction of project, in a financial year (or part of the financial year till the date of issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier) as prescribed in this department notification No. F.A. 32-2017-1-V(41) dated 29 June 2017 at items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) against serial No. (3), as amended.	
2	Cement falling in chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services or both required to be purchased by a promoter for construction of project, in a financial year (or part of the financial year till the date of issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier) as prescribed in this department notification No. F.A. 32-2017-1-V(41) dated 29 June 2017, at items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) against serial No. (3), as amended.	Promoter.
3	Capital goods falling under any chapter in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) supplied to a promoter for construction of a project on which tax is payable or paid at the rate prescribed for items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) against serial number 3 in the Table, in this department notification No. F.A. 32-2017-1-V(41) dated 29 June 2017, as amended.	Promoter.

Explanation. - For the purpose of this notification, -

- (i) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
- (ii) "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP);
- (iii) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
- (iv) "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIYA, Dy. Secy.